



# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक:-F29(41)(4)/RSSB/Result\_Cell/UPT\_LEVEL\_2/HINDI/2025/

दिनांक : यथा-हस्ताक्षरित

## उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय (हिन्दी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम

बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) (लेवल-द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक) सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2014 संशोधन नियमों के प्रावधानों के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) सीधी भर्ती, लेवल द्वितीय (हिन्दी विषय) के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 156 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 18 कुल 174 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन संख्या 09/2025 दिनांक 06.11.2025 संशोधित दिनांक 07.11.2025 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.01.2026 (Evening Shift 3:00 Pm to 05:30 Pm) में किया गया था।

इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नम्बर एवं श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

### • डिलीट प्रश्नों का विवरण:-

HINDI 2025 (DHD68)			
Series	Set	Questions	Deleted Ques.
◇	1	1-150	16, 19, 65, 68
◆	2	1-150	9, 12, 32, 95
○	3	1-150	13, 58, 61, 102
●	4	1-150	17, 33, 49, 82
△	5	1-150	20, 27, 35, 129
▲	6	1-150	26, 37, 42, 106
+	7	1-150	28, 36, 59, 133
+	8	1-150	1, 27, 56, 90
♡	9	1-150	6, 40, 54, 124
♥	10	1-150	4, 21, 55, 104
□	11	1-150	3, 39, 47, 72
■	12	1-150	16, 30, 61, 98

गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार वरीयतानुसार पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लम्बवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 02 गुणा अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दण्डवत् आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित (Shortlist) अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है –

### गैर अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY		CUT OFF	REMARKS
GEN	GEN	226.4658	
	FEM	226.4658	
	WID.	184.9224	
	DIV.	222.3562	
	EX	171.1507	
SC	GEN	214.0274	
	FEM	214.0274	
	WID.	159.4886	
	EX	101.4521	ALL
ST	GEN	205.8630	
	FEM	205.8630	
	WID.	162.8219	
	EX	119.1142	
GEN-EWS	GEN	220.2466	
	FEM	220.2466	
	WID.	180.5388	
	EX	162.3196	
OBC	GEN	223.0228	
	FEM	223.0228	
	WID.	180.7032	
	EX	165.7626	
MBC	GEN	218.3014	
	FEM	214.7489	
BLV		181.1507	
HI		173.2603	
LD/CP		201.2511	
MIMD		150.2740	
SP		200.5845	

## अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY		CUT OFF	REMARK
GEN	GEN	207.2511	
	FEM	207.2511	
	WID.	156.8767	
	EX	N/A	
ST	GEN	181.1507	
	FEM	181.1507	
	EX	N/A	
BLV		113.9452	

सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आंकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है:-

$$\text{Total Marks of a Candidate} = \sum \text{of} \left[ (\text{RQ} \times \text{KF}) - \left( \frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Wrong Question}}{\text{Total No. of Question} \times 3} \right) - \left( \frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Not Attempted Question}}{\text{Total No. of Question} \times 3} \right) \right]$$

$\Sigma$  = Sum of Marks  
RQ = Right Questions

$$\text{KF} = \text{Key Factor} = \frac{\text{Maximum Marks}}{\text{Total No. of Questions}} \times \frac{\text{Total No. of Questions}}{\text{Number of Valid Questions}}$$

### नोट:-

- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 1566 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 02 गुणा कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिये ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भरने हेतु पोर्टल दिनांक 11.06.2026 से दिनांक 25.06.2026 तक खुला रहेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा।
- कोई असंगत/अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन सम्बन्धी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित हैं।
- नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट [www.rssb.rajasthan.gov.in](http://www.rssb.rajasthan.gov.in) का अवलोकन करें।

संलग्न:- परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2

सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—**

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. निजी सहा0, माननीय समस्त सदस्य महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सहा0, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सहा0, उपसचिव (परीक्षा / कार्मिक), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सलाहकार (परीक्षा / विधि / नियम / गोपनीय), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. भर्ती प्रभारी को लेख है कि संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के आगे की कार्यवाही संपादित करे।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव